



पंचायती राज विभाग

बिहार राज्य जिला परिषद सेवासर्त नियमावली,

2023 के तहत जिला अभियंता के कुल स्वीकृत

38 पदों पर सविदा आधारित नियोजन हेतु विज्ञापन :-

बिहार राज्य जिला परिषद द्वारा संचालित योजनाओं के सफल प्रबंधन हेतु जिला अभियंता के निम्न पदों पर नियोजन हेतु कोटिदार पदों की संख्या, योग्यता एवं अनुभव तथा मानदेय एवं अन्य शर्त निम्नवत् है :-

S.No.	Type of Post	Qualification & Experience	HC of Post			Fixed Pay (Per Month in Rupees)
1	District Engineer	आर्किटेक्चर अभियंता के पद में सेवा निवृत्त पदाधिकारी जिला परिषद के जिला अभियंता के पद पर पूर्व में कार्य का अनुभव रखने वाले अभियंताओं को प्राथमिकता दी जाएगी।	कुल - 38			Last requirement period. The actual cost of contract will be incurred after employment.
			DA	10	05	
			EMC	05	03	
			IC	04	02	
			PC	03	03	
			SA	02	02	
			WBC	02	01	
			ERS	01	01	

03. सविदा पर नियोजन हेतु मानक :-

(A) आवेदनकाल गाथा का तामसिक हो।

(B) सेवा निवृत्त पदाधिकारियों का सविदा आधारित नियोजन के लिए एवं सीमा सामान्य प्रशासन विभाग के सफल संख्या-03/एम०-53/2013 का प्र०-10000, दिनांक-10.07.2015 के संदर्भों से अनुसंधित होगी।

(C) नियोजन प्रक्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तकारी शर्तों को संतुष्ट नहीं की जा सकेगी।

(i) जिन पर कोई निगरानी का मामला चल रहा हो।

(ii) जिन पर कोई विभागीय कार्यवाही चल रही हो।

(iii) जिन पर कोई गौरी आरोप विचारधीन हो।

(iv) जिन पर किसी भी तरह का कोई आपराधिक मामला दर्ज हो।

इस अधिसूचना के अंतर्गत कार्य कराया कि उपरोक्त कोई भी शर्त संतुष्ट नहीं है।

04. आवेदन की प्रक्रिया :-

(A) तामसिक जीवन प्रक्रिया का प्रबंधन पदाधिकारी राज्य विभाग द्वारा किया जाएगा।

(B) यदि कोई अन्यथा विज्ञापन बंद के लिए अर्थात् खतबे को दो हफ्ते में पर online आवेदन कर सकते हैं।

05. पंचायती राज विभाग के उपलब्ध लिंक वेबसाइट state.bihar.gov.in/prdbihar पर दिनांक-21.08.2024 को अपडेट 05:00 बजे तक ऑनलाइन आवेदन की जा सकेगी एवं प्राप्त आवेदन के अंतर्गत से दिनांक-28.08.2024 को विभागीय सलाहकार ने अनुसंधित गति जायेगी। जिला अभियंता के संबंधित पदों की संख्या / आरक्षण कोटिदार विभाग का विवरण पंचायती राज विभाग के इस वेबसाइट state.bihar.gov.in/prdbihar पर प्रदर्शित है। जिला अभियंता के पदों पर सामान्य प्रशासन विभाग के विभागों के अनुसार दिशाओं एवं स्वतंत्रता सहायों के नाती-नतीनी / पेश / पेशी को हेतु आरक्षण अनुसंधित है।

06. Online आवेदन समर्पित करने के उपरान्त इसमें त्रुटि सुधार, भूल सुधार और किसी अन्य संशोधन हेतु कोई दावा / आपत्ति मान्य नहीं होगा और न ही इसका अवसर दिया जाएगा। Online आवेदन में दो नई सूचना के अंतर्गत पर नियोजन की कार्यवाही की जायेगी।

07. समर्पित प्रश्नोत्तरों को नियुक्ति बिहार के किसी भी जिले में की जा सकेगी।

08. जिला अभियंता के पद पर चयनित प्रश्नोत्तरों को विभागीय आपत्ति कोटि के अनुसार संबंधित जिलों में प्रदर्शित किया जाएगा।

09. कार्य अनुभव के प्रमाण रजिस्टर P.P.O. को अद्यतन किया जाएगा।

संबंधित कर्मियों को संबन्धित को समय देय वेतन + महंगाई पता का योगफल में दो पंचन + महंगाई पता पदाधिकारी को भुगतान किया जाएगा।

10. सविदा के आधार पर नियोजन की अवधि नियोजन की तिथि से दो वर्ष के लिए होगी जिसे आवश्यकतानुसार विस्तारित किया जा सकेगा नियोजन अवधि कितना नहीं किया जाने की स्थिति में नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की समाप्ति पर यह नियोजन स्वतः समाप्त हो जायेगा और इसके लिये अलग से कोई सूचना / आदेश निर्गत नहीं किया जाएगा।

11. सविदा एकराजता वेबसाइट state.bihar.gov.in/prdbihar पर उपलब्ध बंद के अनुसार प्रकरणात्मक किया जाएगा।

(गोविन्द चौधरी)

उप सचिव

PR-004953 (Panchayat Raj) 2024-25

नयी से बचने का है एक ही उपचार, चुड़ संकल्प और परिवार से प्यार।